

## न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / रसद / 38 / 2017

राममोहन उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत घाटमीका तहसील पहाडी जिला  
भरतपुर

..... अपीलान्ट

### **बनाम**

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर

.....रेस्पोंडेंट

प्रथम अपील विरुद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी भरतपुर  
दिनांक 08-03-2017 वाद निरस्त करने प्राधिकार पत्र  
अन्तर्गत धारा 22 खाद्य सुरक्षा अधिनियम

उपस्थिति:-

- 1-पंकज कुमार ऐडवोकेट अभिभाषक अपीलार्थी
- 2-प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार रसद

### **निर्णय**

**दिनांक 06.08.2019**

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी खिलाफ कानून व रिकॉर्ड के विपरीत है जो काबिल निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी ने आज्ञा देने से पूर्व ना तो समुचित जांच की और ना ही मौके पर किसी उपभोक्ता के बयान लिये। किसी भी उपभोक्ता ने अपीलांट के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। और ना ही अपीलांट ने किसी प्रकार का कोई गबन किया है। यह समस्त जल्दबाजी में की गई कार्यवाही है। इस कारण आज्ञा जिला रसद अधिकारी काबिल निरस्तनीय है। जिला रसद अधिकारी द्वारा यह कथन कि एक आधार कार्ड का भिन्न भिन्न राशनकार्डों में उपयोग करके अपीलान्ट के गबन खाद्य सामग्री का किया है मौके के विपरीत कथन है खाद्य सूची में दर्ज कई उपभोक्ताओं के आधार कार्ड नहीं बने हुये है। बिना आधार कार्ड के इन उपभोक्ताओं की राशन सामग्री नहीं मिल सकती थी। जिस कारण उपभोक्ता आये दिन अपीलांट से झगडा फसाद करते थे जिससे राशन सामग्री का वितरण मौके पर नहीं हो पाता था। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए

आधारकार्डों का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री दी गई किसी भी उपभोक्ता ने अपीलांट के विरुद्ध राशन नहीं देने संबंधी कोई शिकायत नहीं की अधीनस्थ न्यायालय ने इन सभी तथ्यों पर गौर किये बिना आज्ञा पारित की है जो जो है जो काबिल निरस्तनीय है। अपीलांट ने किसी प्रकार की राशन सामग्री का दुरुपयोग नहीं किया है। दुरुपयोग की सामग्री इतनी अधिक नहीं थी जिसके कारण अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता अधिक से अधिक प्रतिभूति राशि करने व जुर्माना करने की आज्ञा दी जा सकती थी अधीनस्थ न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय है। अतः श्री मान् से प्रार्थना है कि अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 08.03.2017 अपीलाधीन आदेश को निरस्त कर अपीलांट के लाईसेंस को बहाल किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो एवं पत्रावली तहत तलब की गई।

अपीलान्ट अभिभाषक उपस्थित नहीं, कई बार आवाज लगवाई गई। अपीलान्ट या उसके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये एवं पूर्व में भी कई बार बहस हेतु मौका दिया जा चुका है लेकिन उपस्थित नहीं आये। रेसपो. पैरोकार रसद ई.ओ. की बहस इकतरफा में सुनी गई।

पैरोकार रसद ने अपने कथनों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर ने आधार आई0 डी0 संख्या 731020390113 का धारक के राशनकार्ड के अलावा कई अन्य उपभोक्ताओं के राशनकार्डों में उपयोग करके 36.30 क्विंटल गेहू व 452 लीटर कैरोसीन तथा 5.500 किग्रा0 चीनी का कूटरचित वितरण पोस मशीन से दर्शाया जाकर दुरुपयोग किया गया है। डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ ( वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2,11,15 व 17 सी का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि जिला रसद अधिकारी भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। रेसपो. पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अपीलान्ट या उसके वकील का उपस्थित नहीं आना यह जाहिर करता है कि उन पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

तहत पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या शर्त संख्या 2,11,15 व 17 सी का उल्लंघन किया गया है। तहत न्यायालय द्वारा उचित निर्णय पारित किया गया है। अस्तु अपील काबिल खारिज के रहती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.08.2019 को सुनाया गया ।



(डॉ. आरुषी मलिक )  
जिला कलक्टर  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official